

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

उन्नाव

संख्या:सी0एफ0ओ0/महाविद्यालय/निरीक्षण-2021(3)

दिनांक: मार्च 13, 2021

सेवा में,

प्रबन्धक

श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय

फतेहपुर-84, काली मिट्टी, सफीपुर

बांगरमऊ, उन्नाव।=

**विषय: संस्थान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।**

**संदर्भ: आपका प्रार्थना पत्र संख्या: निल दिनांक: 13.03.2021**

उपरोक्त विषयक संदर्भित प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके महाविद्यालय में उपलब्ध 07 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या: 1120(1)/आठ दिनांक 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रभारी अग्निशमन केन्द्र बांगरमऊ द्वारा आडिट कराया गया तो 07 अदद न्यू फायर एक्सटिंग्यूशर उपलब्ध पाये गये संस्थान के प्रबंधक व कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिलाया गया। उपलब्ध फायर उपकरणों का विवरण निम्नवत है:-

| क्रमांक | फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार | क्षमता  | संख्या | कार्यशील | अकार्यशील | परीक्षण तिथि | वैधता तिथि |
|---------|------------------------------|---------|--------|----------|-----------|--------------|------------|
| 01      | ए0बी0सी0टाईप                 | 09केजी  | 05     | कार्यशील | निल       | 12.03.2021   | 11.03.2022 |
| 02      | सी0ओ0टू0टाईप                 | 4.5केजी | 02     | कार्यशील | निल       | 12.03.2021   | 11.03.2022 |
|         |                              |         |        |          |           |              |            |

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएं वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन स्वामी का होगा।

नोट:- निर्गत प्रमाण पत्र को भवन के लिए एन0बी0सी0-2016 के अनुरूप अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा।

(आर0के0तिवारी)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
उन्नाव।